...यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

...सीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
...ल संख्या :– 138/2023
...ी दावा:

निर्णय दिनांक :–24.09.2024

भवानी सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर हाल निवासी मुहआ तहसील व जिला–टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. गिरधर सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर हाल निवासी मुहआ तहसील व जिला–टोंक राज0।
2. अजीत सिंह पुत्र महावीर जाति राजपूत निवासी रामनगर तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 ।
3. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राज0।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादी

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

दावा बंटवारा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 26.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में तहसीलदार दूनी से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांकः– भू. अ. /2024/2902 दिनांक 27.06.2024 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांकः– भू. अ./2024/2902 दिनांक 27.06.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 62 ख. नं. 167 रकबा 4.82 है0 व ख. नं. 31 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का चंदवाड़ तहसील दूनी जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

24.09.2024

...ता संख्या 62 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का चन्दवाड़ तहसील दूनी में हिस्सा ...सार रहेगाः–

	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	भवानी सिंह पुत्र बिशन सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शित	71	0.30	बारानी 1	2.40
		167	2.41	बारानी 1	19.28
	योग	किता–2	2.71		21.68
2.	गिरधर सिंह पुत्र बिशन सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शित	71 मि.	0.30	बारानी 1	2.40
		167 मि.	2.41	बारानी 1	19.28
	योग	किता–2	2.71		21.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.09.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

उनवानी दावा:

भवानी सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर हाल निवासी मुहआ तहसील व जिला–टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. गिरधर सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी रामनगर हाल निवासी मुहआ तहसील व जिला–टोंक राज0।
2. अजीत सिंह पुत्र महावीर जाति राजपूत निवासी रामनगर तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 ।
3. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राज0।

–प्रतिवादीगण–

दावा बंटवारा आराजीयात व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 26 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रामनिवास तुनगारिया अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी ज़ाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 62 ख. नं. 167 रकबा 4.82 है0 व ख. नं. 31 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम रामनगर पटवार हल्का चंदवाड़ तहसील दूनी जिला टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

खाता संख्या 62 ख. नं. 3418 रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम दूनी तहसील देवली में हिस्सा निम्नानुसार रहेगा:–

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	भवानी सिंह पुत्र बिशन सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में केसरिया रंग से दर्शित	71	0.30	बारानी 1	2.40
		167	2.41	बारानी 1	19.28
	योग	किता–2	2.71		21.68

24.09.2024

गिरधर सिंह पुत्र बिशन सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में बैंगनी रंग से दर्शित	71 मि.	0.30	बारानी 1	2.40
	167 मि.	2.41	बारानी 1	19.28
योग	किता–2	2.71		21.68

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। वादी के कब्जेकाश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.......................................मुवलिक.......................................बाबत् ....
..............................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 09 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)

मुद्दई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner